तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
23.01.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस का नोटिस जरिए रजि. डाक प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। ऋणि द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं किया हैं। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में बैंक के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/ऋणि/सहऋणि/जमानतदार विमला देवी, ओमप्रकाश, ठाकर राम, दलीप कुमार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाए जाने हेतु निवेदन किया हैं। परन्तु प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे अप्रार्थी सं. 4 दलीप कुमार द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया हो या ऋणि के पक्ष में जमानत दी हो। दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को पर्याप्त अवसर भी दिए जा चुके हैं। प्रकरण में बहस अंतिम भी हो चुकी हैं। दस्तावेजों के अभाव में अप्रार्थी के विरूद्ध आदेश सुनाया जाना उचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** Signature Not Verified Digitally signed by Avdhesh Meena Date: 2024.05.13 17:40:49 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)